

कार्यालय, प्रभागीय वनाधिकारी, टौन्स वन प्रभाग, पुरोला (उत्तरकाशी)।।

E-mail-dfo tons@yahoo.co.in.phone/fax-01373-223328

पत्रांक 222/12-1 दिनांक, पुरोला, 30/07/2020।
सेवा में,

अधिशाली अभियन्ता,
पी0एम0जी0एस0वाई,
सिंचाई खण्ड, पुरोला,
उत्तरकाशी।

विषय- जनपद उत्तरकाशी में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत गुन्दियाटगांव रामा मोटर मार्ग के किमी0 1.00 से स्यालुका मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.538 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ- भारत सरकार की वन एवं पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तरमध्य क्षेत्र) के पत्रांक सं0-8बी/यू0सी0पी0/06/187/2019/एफ0सी0/719 दिनांक 24-07-2020।

महोदय,

उक्त विषयक सन्दर्भित पत्र द्वारा भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा विषयांकित वन भूमि हस्तान्तरण प्रकरण में सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है, सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों के पालन हेतु संलग्न डिमान्ड नोट (मांग पत्र) प्रेषित किया जा रहा है। मांग पत्र के अनुसार एन0पी0वी0 एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि कैम्पा कोष में जमा कर जमा चालान की प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें।

उक्त के अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित समस्त शर्तों की अनुपालन आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि प्रकरण में यथाशीघ्र विधिवत स्वीकृति प्राप्त की जा सकें।

संलग्न-यथोपरि।

भवदीय,

(सुबोध कुमार काला)

प्रभागीय वनाधिकारी,

टौन्स वन प्रभाग पुरोला।

प्रतिलिपि-अपर प्रमुख वन संरक्षक, एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरा नगर फॉरेस्ट कॉलोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

भवदीय,

(सुबोध कुमार काला)

प्रभागीय वनाधिकारी,

टौन्स वन प्रभाग पुरोला।

जनपद उत्तरकाशी में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत गुन्दियाटगांव रामा मोटर मार्ग के किमी० 1.00 से ब्यालुका मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.536 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन किए जाने के सम्बन्ध में सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित शर्तों के अन्तर्गत प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा जमा की जाने वाली धनराशि का मांग पत्र।

टौन्स वन प्रभाग, पुरोला।

क्र० सं०	प्रस्ताव संख्या	हस्तान्तरित की जाने वाली वन भूमि का क्षेत्रफल (हे०में)	ईको क्लास श्रेणी	हरियाली का घनत्व	मद का विवरण	क्षेत्रफल (हे० में)	दर प्रति हे० प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून का पत्रांक सं०-९७२/३-५-२ दिनांक २१.११.२०१७ के अनुसार वसूली वर्ष २०१९-२० हेतु निर्धारित दर के अनुसार	जमा की जाने वाली आकलित धनराशि
१	२	३	४	५	६	७	८	९
१	FP/UK/ROAD/41387/2019	4.536	5	0.5	१. NPV	4.536	८,४५,०००/-	३८,३२,९२०.००
२					२. क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं १० वर्षीय रख-रखाव हेतु	९.०७२	३,३७,१८४/-	३०,५८,९३४.००
Total:-								६८,९१,८५४.००
Or Say:-				Sixty eight lacs ninty one thousand eight hundred fifty four only				

नोट- क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि यदि वित्तीय वर्ष 2020-21 में जमा नहीं की जाती है तो वित्तीय वर्ष 2021-22 के निर्धारित दर के अनुसार धनराशि जमा करनी होगी।


 (सुबोध कुमार काला)
 प्रभागीय वनाधिकारी,
 टौन्स वन प्रभाग, पुरोला।